अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973)

क्रमांक डी-15-02-2009-चौदह-3 दिनांक 2 मार्च 2009 -- यत: राज्य सरकार की यह राय है कि उद्योग संवर्धन नीति , 2004 में उल्लिखित परम्परागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता (जैसे- दाल मिल , आईल मिल हलर/शेलर , राईस मिल , आटा मिल एवं एक्सालोलर आदि) को प्रोत्साहित करने के लिये मण्डी फीस के भुगतान से छूट हेतु तात्पर्यित पात्र श्रेणी में रखा गया है ।

अतएव मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कच्चे माल पर देय मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् : -

(1) स्थापित की गई रोलर फ्लोर मिल में कच्चे माल के रूप में उपयोग किये जाने वाली अधिसूचित कृषि उपज 'गेहूँ' पर मंडी फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी किन्तु यदि अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ को वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय किया गया है तो मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा मण्डी फीस के भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और संबंधित मण्डी समिति उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी ।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 31, 32 तथा 32-क के अधीन उपरोक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (रोलर फ्लोर मिल्स) के लिये मण्डी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकर होगा तथा यह आवश्यक होगा कि राज्य के भीतर के या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" के संबंध में आयकर विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को नियतकालिक विवरणी तथा सत्यापित प्रति एवं समस्त अन्य ब्यौरे समय-समय पर यथा-निदेशित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करें ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(3) राज्य के बाहर से क्रय करने के पश्चात् किसी मण्डी क्षेत्र में उत्पादन के प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" पर मण्डी फीस की यह छूट प्रभावी नहीं होगी और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन संबंधित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को मण्डी फीस का भुगतान करना होगा ।

(4) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों साथ ही उपरोक्त मदों के अधीन मण्डी फीस से छूट (फूड पार्क निगरानी में ग्रेन मिलिंग द्वारा स्थापित रोलर फ्लोर मिल) समस्त रोलर फ्लोर मिलों पर लागू होगी ।

(5) ऐसी आधुनिक रोलर फ्लोर मिल को , जो उद्योग विभाग में रजिस्ट्रीकृत हैं और उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के अधीन उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित तथा मान्यताप्राप्त हैं तथा रोलर फ्लोर मिलों को स्थापित करने के लिये न्यूनतम दस करोड़ रुपये का पूँजी निवेश कर चुकी है ,

उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अधीन मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी ।

(6) मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये , रोलर फ्लोर मिलों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह शर्त क्रमांक (5) के अनुसार पूँजी निवेश, गेहूँ के उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता , अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" की कच्ची सामग्री और मात्रा की पुष्टि उद्योग विभाग से करवाए ।

(7) वह छूट ऐसी आधुनिक रोलर फ्लोर मिलों को लागू नहीं होगी जो शर्त क्रमांक (6) में यथा उल्लेखित गेहूँ के उत्पादन की प्रमाणिक क्षमता और उसके लिये कच्ची सामग्री तथा अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" की मात्रा का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रही है ।

(8) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए , मण्डी क्षेत्र में स्थापित कीं गई रोलर फ्लोर मिल को फरवरी , 2009 से अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये या शर्त क्रमांक (8) में यथा उल्लिखित , उनमें से जो भी पूर्वत्तर हो , मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी ।

(9) शर्त क्रमांक (5) में यथा उल्लिखित रोलर फ्लोर मिलों को स्थापित करने के लिये , मण्डी फीस से छूट उनके द्वारा किये गये स्थायी पूँजी निवेश की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत रकम के समतुल्य होगी । संबंधित मण्डी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि जिसके क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिल स्थापित है, वे राज्य की समस्त मण्डी समितियों से प्राप्त माहवार छूट की गणना करें तथा निबंधनों और शर्तों के पालन को सुनिश्चित करें ।

MAP IT (MP Code)

(10) किन्हीं शर्त के भंग या इस अधिनियम के उपबंधों तथा उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अननुपालन या उल्लंघन की दशा में स्थापित की गई रोलर फ्लोर मिल को उपलब्ध कराई गई कुल मण्डी फीस की पाँच गुना रकम स्थापित की गई रोलर फ्लोर मिल द्वारा संबंधित मण्डी समिति को शास्ति के रूप में देय होगी ।

(11) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त अवधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाइयों को मण्डी फीस के छूट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जो प्रकरणवार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबंध में आवश्यक विनिश्चय करेगा ।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-3-2009 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]